



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में 'जहां है जैसी है जो है जैसी है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।

## अचल संपत्ति का विवरण

| देनदारों/ शाखा का नाम/ खाता संख्या एवं आर्ग्युमेंटरी कोड                                                                                                                  | सम्पत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बकाया राशि(राक्षित ऋण) डिमाण्ड नोटिस तिथि कबजे की दिनांक                                                                                                                                                | आरक्षित मूल्य रु. धरोहर जमा राशि रु. बिड वृद्धि राशि रु. | नीलामी दिनांक, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिनांक एवं निरीक्षण दिनांक               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीमती नेहा रामनानी पुत्री श्री डालू मल निवासी प्लाट संख्या 10/205, सेक्टर 10, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) सेंट्रल होम ऋण खाता सं. 2978488592 शाखा- संसार चंद्र रोड़, जयपुर | जिन सभी आवश्यक भागों से मिलकर यह संपत्ति बनती है - श्रीमती नेहा रामनानी पुत्री श्री डालू मल के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति फ्लैट संख्या एस 1, द्वितीय तल, प्लाट संख्या 55-ए, कुशल नगर, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान) है, जिसका विल्ट एअर एरिया 800.00 वर्गफीट है सम्पत्ति के हक दस्तावेजों के अनुसार स्थिति एवं दिशाएं निम्न - उत्तर में - सड़क 30 फीट, दक्षिण में - अन्य प्लांट, पूर्व में - भू.सं. 54, पश्चिम में - भू.सं. 55 | दिनांक <b>31.05.2019</b><br>13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रूपये <b>11,66,517/-</b> (रुपये ब्याज सहित लाख छियासठ हजार पांच सौ सत्रह मात्र) दिनांक <b>30.05.2019 + आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त</b> | रु. 12,30,000/-<br>रु. 1,23,000/-<br>रु. 10,00,00/-      | एवं निरीक्षण दिनांक <b>16.03.2020</b><br><b>13.03.2020</b><br><b>11.03.2020</b> |
| IFSC Code: CBIN0281065<br>खाते का नाम- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                 |

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:- 1. नीलामी ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankauctions.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय: **16.03.2020 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे** के मध्य (बन्द होने के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समयावधि वाक्यांश के साथ) ई-नीलामी 'जहां है जैसी है वहां जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां शाखा में जमा कराने हेतु अंतिम दिनांक **13.03.2020 को सांय 04:00 बजे** तक होगी। 3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankauctions.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया की विस्तृत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये जाने की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पोर्टल <https://www.bankauctions.com> पर पंजीकृत तथा निष्पक्ष यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। नीलामी बोलीदाता ई-नीलामी हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण मेसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, श्री विनोद चोहान सम्पर्क सं. 09813887931 से प्राप्त कर सकते हैं गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव इलेक्ट्रॉनिक नं. +91-1244302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: [support@bankauctions.com](mailto:support@bankauctions.com) 5. धरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक **13.03.2020** तक या उससे पूर्व निम्न दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल में पंजीकरण के उपरान्त, इच्छुक बोलीदाता/क्रैता को वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां बोली जमा कराने की अंतिम तिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS चालान की प्रति 2. पैन कार्ड की प्रति 3. पहचान का सक्षय (KYC) स्वहस्ताक्षरित वोटर आईडी कार्ड/ ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति 4. पते के सक्षय की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त किये जाने योग्य होगी। 7. धरोहर राशि सफलतापूर्वक/उच्चतम बोलीदाता की दशा में समाविष्टित कर ली जायेगी अन्यथा विक्रय सम्पूर्ण होने के 7 दिवसों के भीतर लांटा दी जायेगी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक **11.03.2020** बोली दिनांक 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा के माध्यम से कर सकते हैं। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता को उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) ऑनलाईन नीलामी बन्द होने तक जमा करायेंगे उसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता बोलीराशि का 25% (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को शामिल करते हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही तुरन्त तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करवायेगा। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार विक्रय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जप्त कर दी जायेगी। 11. समस्त प्रभार किसी भी अधिकरण को बकाया, परिवहन, मुद्रांश सक्षय तथा पंजीकरण के खर्च इत्यादि की भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे। 12. यदि ऋणी बैंक को कुल बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निरस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थगन/रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है। 14. संपत्ति सं संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु शाखा प्रबंधक, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर डॉ. हिमांशु गुप्ता, मो. 8696930999, शाखा ई-मेल [bmjaip1065@centralbank.co.in](mailto:bmjaip1065@centralbank.co.in) अथवा मेसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव से सम्पर्क कर सकते हैं।

## सर्पेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।

दिनांक: 26.02.2020, स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया